सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 436 राँची, सोमवार, 15 सितम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

20 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-139/2014 का०- 4963--श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-176/03, गृह जिला-देवघर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी पूर्वक जाली कागजात तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बरतने तथा अपने पद का दुरूपयोग कर अभिकर्ता को नाजायज आर्थिक लाभ पहुँचाने के आरोप में श्री सिंह एवं अन्य के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92, धारा 420/468/469/477(ए)/120(बी)/109 भा० द० वि० एवं धारा 5(2) पठित धारा 5(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 परिवर्तित धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्र०नि०अधि० 1988 दर्ज की गयी ।

2. उक्त (निगरानी थाना कांड सं०-48/92) कांड में विधि (न्याय) विभाग, बिहार के आदेश सं०-1839/जे०, दिनांक-28.05.2002 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी एवं माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना के न्यायालय में आरोप पत्र सं०-05/2002, दिनांक 06.07.2002 समर्पित किया गया ।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-751, दिनांक 27.08.2014 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92 में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा दिनांक 30.03.2013 को परित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। पारित न्यायादेश का operative part निम्नवत् है-

"Considering the above facts and circumstances of the case and submissions made on behalf of the parties, convicts namely 1. Chandra Shekhar Singh, 2. Umesh Prasad Singh, 3. Uma Shankar Yadav, 4. Manohar Prasad Gupta and 5. Bageshwari Prasad Singh each of the convicts are hereby sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of one (1) year under section 120-B I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo for a period of two (2) years Rigorous Imprisonment U/S 420/34 I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 468 I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 477-A I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of (two) 2 years and a fine of Rs. 1000/- (Rs. One thousand) each only U/S 201 I.P.C. and in default of payment of fine three (3) months Rigorous Imprisonment. They are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 2 (two) years U/S 5(2) of Prevention of Corruption Act, 1947 corresponding to Section 13(2) of Prevention of Corruption Act, 1988. All the sentences shall run concurrently. The period already undergone as under trial prisoners shall be set off from the period of sentences passed today under the provision of Section 428 Cr. P.C."

4. निगरानी थाना कांड सं0-48/92 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना के न्यायालय द्वारा श्री सिंह को दण्डित किये जाने के कारण इनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5927, दिनांक 24.07.2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 06.09.2019 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा उनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं०-W.P.(S) No. 7281/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत् अधिरोपित आजीवन पेंशन के रोक के दण्ड को रद्द कर दिया गया। आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"In the case in hand, it is evident that the impugned resolution, withholding the entire pension of the petitioner, has been issued invoking the power under rule 43(a) of the Rules, 2000 on the ground of passing of the judgment of conviction and order of sentence in Vigilance P.S. Case No. 48 of 1992 which has instituted during the service period of the petitioner and, therefore, the same will be treated as his past conduct and not future conduct while receiving pension.

In view of the aforesaid discussions, the impugned resolution as contained in memo no. 8874 dated 6th November, 2019 (Annexure-6) issued under the signature of the respondent no. 2 by the order of the Hon'ble Governor, Jharkhand cannot be sustained in laws and the same is hereby quashed.

The respondent- State is, however, at liberty to take appropriate recourse against the petitioner, if the same is permissible under law.

The writ petition is accordingly allowed."

7. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् पुनः नये सीरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के बिन्दु पर विधि विभाग, झारखण्ड के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है।

8. रिट याचिका सं०-W.P.(S) No.7281/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पारित न्यायादेश एवं संबंधित मामले में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प सं०- 6029, दिनांक 27.10.2023 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत अधिरोपित आजीवन पेंशन रोकने से संबंधित दण्डादेश को रद्द किया गया तथा विभागीय पत्रांक-6030, दिनांक 27.10.2023 द्वारा नये सिरे से झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने के बिन्दु पर कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

9. उक्त के अनुपालन में श्री सिंह के पत्र दिनांक 15.04.2024 द्वारा कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत कारण पृष्छा में मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया कि निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92 में दोष सिद्धि के आधार पर झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् पेंशन कटौती का दण्ड गलत है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्याय निर्णय के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् कोई आदेश पारित नहीं की जा सकती है। कारण पृच्छा दिनांक 25.10.2023 घटित घटना के 4 वर्ष से अधिक अवधि के बाद निर्गत की गई है। जब ये सेवा में थे, तब इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गई थी।

10. श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निगरानी थाना काण्ड संख्या-48/92 में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना में आरोप पत्र सं0-5/2002, दिनांक 06.07.2002 समर्पित की गई, जब श्री सिंह सरकारी सेवा में थे तथा उक्त कांड में इनको दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं आर्थिक दण्ड अधिरोपित की गई, अत: पेंशन नियमावली के नियम- 43(ख) के स्पष्टीकरण (ख)(i) के तहत् कार्रवाई नियमानुकूल है। साथ ही विद्वान महाधिवक्ता द्वारा भी पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु परामर्श दी गई है, जिसके पश्चात् ही उनसे पुनः नये सिरे से कारण पृच्छा निर्गत की गई है। श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर Cr. Appeal (SJ) No. 334 of 2013 में अभी तक माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा पारित दण्डादेश को खारिज नहीं की गई है।

11. समीक्षोपरांत, श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया।

12. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-3942, दिनांक 12.06.2024 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित करने पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1837, दिनांक 29.07.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन निगमावली के नियम- 43(ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपण पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 176/03, गृह जिला देवघर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा के विरूद्ध **झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 436 - 50